न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ,हनुमानगढ

.पीठासीन अधिकारी का नाम:– कानाराम, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या:– 115/2024 विविध (धारा 14 सिक्योरिटाइजेशन)

एयु स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (पूर्व में एयु फाईनेंसर्स इण्डिया लि0 के नाम से जाना जाता था) शाखा कार्यालय 19 ए, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड़, जयपुर – 302001 राजस्थान।

––प्रार्थी

बनाम

1. श्री प्रवीण सैनी पुत्र श्री प्रभु दयाल सैनी पता जाजू मिल वाली गली, वार्ड नं. 12, तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ – ऋणी
2. श्री प्रभु दयाल पुत्र श्री संत लाल पता मालियो की गली, वार्ड नं. 12, तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ – सहऋणी

–:आदेश:– दिनांक :–29.01.2025

प्रार्थी एयु स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (पूर्व में एयु फाईनेंसर्स इण्डिया लि0 के नाम से जाना जाता था) शाखा कार्यालय 19 ए, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड़, जयपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री मनोज कुमार की ओर से श्री जयपाल झोरड़ वकील उपस्थित आये जिनको सुना गया। बैंक के वकील ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण को ऋण 7,00,000/– रूपये की ऋण सुविधा दिनांक 27.02.2022 को स्वीकृत व वितरित की गई थी। अप्रार्थीगण ने उक्त ऋण सुविधा की ऐवज में अपनी अचल सम्पति – कमांक – 153, वार्ड नं. 21 नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ साईज 732.03 वर्गफुट, (राजस्थान) जिसकी चतुर्थ सीमा जिसके पूर्व में रास्ता, पश्चिम में अशोक तिवाड़ी, उतर मे झमनलाल व दक्षिण में रामलाल है जिसमें भूमि, भवन व ढॉचा आदि सम्पति के अभिन अंग है, जिसका कुल क्षेत्रफल 732.03 वर्गफुट है, जिसको आवश्यक दस्तावेजों का निष्पादन करके प्रार्थी कम्पनी के पक्ष में साम्यिक बंधक किया।

अप्रार्थीगण ने कम्पनी दवारा प्रदत ऋण को ऋण अनुबन्ध की शर्तो के अनुसार नही चुकाने पर उक्त ऋण खाता दिनांक 08.02.2024 को अक्रियान्वित आस्ति के रूप में (एन.पी.ए.) वर्गीकृत कर दिया गया है। अप्रार्थीगण के ऋण खाता में बकाया राशि 6,21,753/– रूपये दिनांक 12.02.2024 तक का ब्याज शामिल करते हुए तथा इसके पश्चात का ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त बकाया निकलते है और इस राशि का भुगतान करने के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है।

अप्रार्थीगण के ऋण खाता एनपीए होने पर एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत प्रार्थी कम्पनी ने अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 13.02.2024 भेज कर 60 दिन में ऋण राशि जमा करने की मांग की गई। परन्तु नोटिस के उपरान्त भी समयावधि में ऋण राशि का भुगतान नहीं किया गया

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

अप्रार्थीगण द्वारा देय ऋण राशि का भुगतान बावजूद मांग के प्रार्थी कम्पनी को नहीं करने पर उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी कम्पनी उपरोक्त वर्णित रहन शुदा सम्पति का कब्जा प्राप्त करने व विकय कर शेष देय ऋण राशि वसूल करने का अधिकारी है। उक्त एक्ट की धारा के प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त रहन शुदा बंधक सम्पति का भौतिक कब्जा प्रार्थी कम्पनी द्वारा लिया जाना है। प्रार्थी कम्पनी को भौतिक कब्जा लेने हेतु पुलिस सहायता दिलाये जाने के आदेश फरमाये जावे।

प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। जो तामील होकर आया। अप्रार्थी प्रवीण सैनी पुत्र प्रभुदयाल सैनी जाति सैनी निवासी वार्ड नं0 21, नोहर दिनांक 28.08.2024 को उपस्थित होकर ऋण राशि जमा करवाने हेतु 06 माह का समय चाहा, अवसर दिया गया। बावजूद अवसर के ऋण राशि के संबंध में कोई सूचना न्यायालय में पेश नहीं की गयी, ना ही स्वयं न्यायालय में उपस्थित हुआ। आवाज लगाई गयी, बावजूद भी स्वयं उपस्थित नहीं होने पर अप्रार्थी की अनुपस्थित दर्ज की गयी। अप्रार्थीगण अनुपस्थित होने पर वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

प्रार्थी कम्पनी के वकील के कथनों पर मनन किया और पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी कम्पनी को ऋण राशि का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी कम्पनी द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को नोटिस प्रेषित करना पाया गया। इसके पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि की शर्तो के मुताबिक ऋण राशि का भुगतान प्रार्थी कम्पनी को नहीं करने पर The Securitisation and Reconstruction of Financial Assests of Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत शक्तियों के तहत तथा प्रार्थी कम्पनी के द्वारा पेश किये गये शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए प्रार्थी कम्पनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी कम्पनी के पास रहन रखी अचल सम्पति – कमांक – 153, वार्ड नं. 21 नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ साईज 732.03 वर्गफुट (राजस्थान) जिसकी चतुर्थ सीमा जिसके पूर्व में रास्ता, पश्चिम में अशोक तिवाड़ी, उत्तर मे झमनलाल व दक्षिण में रामलाल है जिसमें भूमि, भवन व ढॉचा आदि सम्पति के अभिन अंग है, जिसका कुल क्षेत्रफल 732.03 वर्गफुट है, जिसका भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी कम्पनी को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। जिला पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ को निर्देश दिये जाते है कि प्रार्थी कम्पनी का चाहे अनुसार पुलिस सहायता संबंधित पुलिस थाना के माध्यम से नियमानुसार उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली नंबर से कम की जाकर दाखिल दफतर की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 29.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़